

2017/00534

तारीख हुक्म

हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  
श्री शंकरलाल तिवाडी पुत्र स्व. श्री तोलाराम जी तिवाडी निवासी पारीक चौक  
वैद्य ठाकुरदास के मकान के सामने, बीकानेर  
: ब न म :  
सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, नोखा  
प्रथम सूचना अपील संख्या 264/17  
(अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई.एक्ट, 2005)

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील में  
जारी हुए



: निर्णय :

13.12.17

1. अपीलार्थी हाजिर। प्रत्यर्थी की और से कोई उपस्थित नहीं।
2. अपीलार्थी ने निवेदन किया कि उसके द्वारा उपखण्ड अधिकारी, नोखा से आवेदन-पत्र दिनांक 18.9.17 में वर्णित सूचना चाही थी। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा सूचना प्रदत्त नहीं की गई। अतः अपील स्वीकार की जा कर प्रत्यर्थी को आवेदन-पत्र दिनांक 18.9.17 से आवेदित सूचना निःशुल्क उपलब्ध करवाने हेतु आदेश फरमाया जावे।
3. सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, नोखा द्वारा ना तो अपील का जवाब पेश किया गया है व ना ही उनके प्रतिनिधि सुनवाई के दौरान उपस्थित आये है।
4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत नागरिकों को किसी लोक प्राधिकारी से ऐसी सूचना मांगने का अधिकार है, जो उस लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध है। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, नोखा के धारण/नियंत्रण में हो तो वांछित सूचना नियत समयावधि में अपीलार्थी को दी जानी चाहिए थी।
5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, नोखा को निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों की पूर्ण पालना करते हुए नियमानुसार अपीलार्थी के आवेदन-पत्र का निस्तारण 15 दिवस के अंदर किया जा कर उसकी सूचना जरिये रजिस्टर्ड डाक से अपीलार्थी को आवश्यक रूप से भिजवाई जावे।
6. सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, नोखा को पाबन्द किया जाता है कि भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जारी नोटिस का जवाब समयावधि में इस न्यायालय में प्रस्तुत करना तथा नियमित पैरवी करना सुनिश्चित करावें। इस संबंध में किसी भी प्रकार की कौताही नहीं बरती जावे।
7. निर्णय आज दिनांक 13.12.17 को लिखवाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफतर हो।

(अनिल गुप्ता)

प्रथम सूचना अपील अधिकारी  
एवं जिला कलक्टर, बीकानेर  
प्रथम सूचना अपील अधिकारी  
एवं जिला कलक्टर, बीकानेर